न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 28 / 2017
दायर दिनांक :– 23.01.2017

अनवान

1. श्री महावीर प्रसाद पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर
2. श्री अंजनी कुमार पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. श्री भगवान स्वरूप पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर
2. श्री रामस्वरूप पिता मोहन लाल ब्राहमण नि. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट प्रार्थीगण,
2. श्री बद्रीलाल मीणा, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 11.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ.न. .6340, 6341, 6353, 6357 कुल किता 4 रकबा 4.03 बीघा कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 की माता एव प्रतिवादी सं. 2 की पत्नि नन्दु देवी पुत्री राधावल्लभ ब्राहमण के खाते में दर्ज हैं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मूली देवी पत्नि रामगोपाल ब्राहमण की भूमि थी जो जरिये बक्शीश से हम प्रार्थीगण की माता नन्दु देवी को प्राप्त हुई। हम प्रार्थीगण की माता नन्दु देवी पुत्री वल्लभ पत्नि रामस्वरूप ब्राहमण की दिनांक 15.09.2003 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि हैं जो मेरी माता को विरासत से प्राप्त हुई हैं। एंव नन्दु देवी के हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 विधिक उत्तराधिकारी है इस कारण मृतक नन्दु देवी की सम्पत्ति कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण को हक व अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता हैं एव हम पक्षकारान हिन्दु विधि से शासित होने के कारण प्रार्थीगण की माता मृतक नन्दु देवी की कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 यानी कुल 1/2 हक व हिस्सा प्राप्त होता है इसलिये प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से 1/2 हक व हिस्से के लिये प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात आराजी भूमि को अवैधानिक रूप से रहन बक्सीस, बन्धक नही करने व प्रार्थीगण को उक्त आराजियात पर से बेदखल नही करने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल

उपखण्ड अधिकारी

किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री बद्रीलाल मीणा, एडवोकेट का अधिकारी पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश कर निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 अस्वीकार है। चरण सं. 2 मे वर्णित सजरा स्वीकार है। चरण सं. 3 में वर्णित आराजी नन्दु देवी के नाम होना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। चरण सं. 4 में वर्णित भूमि मूली देवी द्वारा नन्दु देवी के पक्ष में वसीयत करना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार हैं। चरण सं. 5, 6, 7, 8, 9 अस्वीकार हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज योगय हैं उक्त वर्णित भूमि पैतृक नही हैं उक्त भूमि नन्दु देवी को दान में मिली जिस पर उसका स्वंय का हक है अन्य का नही हैं उसके अपने जीवन काल में उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को वसीयत से दे दी जिस पर अप्रार्थी का कब्जा हैं व प्रार्थी का किसी तरह का हक व हिस्सा नही हैं। इस वाद से पुर्व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण फैसल किया गया व न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर ने अप्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थी का हिस्सा व हक मानते हुये निर्णय पारीत किया। प्रार्थीगण द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्णय की अपील नही की गई। एक प्रकरण में निर्णय होने के बाद उसकी अपील हो सकती हैं। लेकिन उसी प्रकरण के संदर्भ में दुबारा नया वाद नही हो सकता हैं इसलिये प्रार्थी का प्ररकण खारीज योग्य हैं। अप्रार्थीगण का सन् 2003 से पुर्व भी कब्जा था 2003 के बाद लगातार कब्जा हैं व अप्रार्थी का 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से प्रार्थीगण का दावा मियाद बाहर हैं। व प्रार्थीगण का दावा नही चल सकता। प्रार्थीगण का प्राईमा फेसी केस नही हैं न ही सुविधा संतुलन उसे पक्ष में हैं। अगर अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो अप्रार्थी को प्रार्थी उसके कब्जे से बेदखल कर देगे। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया की उक्त भुमि प्रार्थी के माता के नाम होने से पैतृक भुमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 विधिक उत्तराधिकारी है। जिससे उक्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण भी उक्त भुमि की वारिसान है। इसलिये अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक उपरोक्त आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को विकय, बंधक, रहन या बक्शीस न करे न कराने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया की भूमि पैतृक नही है। उक्त भूमि नन्दु देवी को दान में मिली जिस पर उसका स्वंय का हक है अन्य का नही हैं। उसके अपने जीवन काल में उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को वसीयत से दे दी जिस पर अप्रार्थी का कब्जा हैं व प्रार्थी का किसी तरह का हक व हिस्सा नही हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसल नामान्तरकरण की अपील भी न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर ने अप्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थी का हिस्सा व हक मानते हुये निर्णय पारीत हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्णय की भी कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियात पुश्तैनी है इस संबध में कोई साक्ष्य अथवा सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। एवं न ही कोई पुराना राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो की उक्त भूमि पुश्तैनी है। अतः आराजियात के पुश्तैनी होने सबधी साक्ष्य सबूत राजस्व रेकार्ड के अभाव में न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:29:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: